

27/18
17.5.18

प्रपत्र-6

खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

.....
.....

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मवाना (पुर्वीक बल्लकवा) की जमाबन्दी

संवत् 2013 ई 76 खाता संख्या 45 में मेरा नाम हीरा वल्लु जाला
का हिस्सा $\frac{1}{2}$ दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक हरीशम वल्लु
पुत्र जालाराम है मेरा आधार कार्ड, मतदान परिचय पत्र
आदि दस्तावेजों में मेरा नाम हीरा वल्लु जालाराम
है जो मचाले में मुझे पुकारा व पहचाना जाता है
अतः राजस्व रिकॉर्ड में हीरा वल्लु जाला के
स्वातंत्र्य पर हीरा वल्लु जालाराम दर्ज करने का
आदेश फरमाने।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी का वास्तविक नाम हीरा वल्लु जालाराम वल्लु जाला
है। मैं इनके व्यक्तिगत रूप से पहचान हूँ प्रार्थी

राजस्व रिकॉर्ड में हीरा वल्लु जाला के
स्थान पर हीरा वल्लु जालाराम दुरुस्ती करने की सिफारिश करता हूँ।

दिनांक ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Sir
विषय है कुशाद मवालीपुरा की जमाबंदी खत 103-76
की आग सं. 45 के मुकुंदनाथ हीरा वड जाला है जवसे जमीनी
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मवाली पटवारी
आपका पर हीरा वड जाला के स्थान पर हीरा वड जाला
मुकुंदनाथ जिनकी अर्जा की जाली है

11/5/18
पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पटवारी व भू.अ. निरीक्षण की जांच व सलाह
दस्तावेजों एवं दस्तावेजों के आधार पर
आधार पर जमीनी का नाम हीरा वड जाला के
स्थान पर "हीराम वड जालाराम" का नाम
इस्त. करने की सिफारिश की जाती है

11/5/18
(मुनील कुमार कटवा)
तहसीलदार, (28) म...

आदेश

तहसीलदार के द्वारा, ICR वापस, पटवारी के द्वारा जंच रिपोर्ट
एवं जमीनी द्वारा जमाबंदी के आधार पर
जमीनी का नाम हीरा वड जाला के
स्थान पर हीराम वड जालाराम इस्त. करने
की सिफारिश किया जाता है। उपरोक्त नाम रजिस्ट्रार के
दस्तावेजों में का तहसीलदार के द्वारा किया जाता है
जिसका मुहर होकर दस्तावेजों में



उपपटवारी अधिकारी
मौहल